

अशासकीय पत्र सं०-1/शा०/28 /2022-1/152/2022 आवंटन

लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 2022

अनुदान सं०-14

तेरह अंकों का कोड-2515001960500

आहरण एवं वितरण अधिकारी/

2515001970500

संयुक्त निदेशक(पं०)

2515001980500

पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-09/2022 /861/002-33-2020 दिनांक 06.09.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 7466.00 करोड़ के सापेक्ष टाइड फण्ड की प्रथम किश्त की धनराशि रू० 2239.80 करोड़ (रू० बाइस अरब उन्तालिस करोड़ अस्सी लाख मात्र) की अवमुक्त/स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ०प्र० प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया जाये-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में आहरण-वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी०एफ०एम०एस० के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
5. आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई०एफ०एस०सी० कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
6. धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
8. उक्तानुसार वित्तीय आवंटित धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी का होगा।
9. उक्त वित्तीय आवंटन जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018- मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11. वित्तीय आवंटन का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी का होगा। धनराशि का आहरण/व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

12. पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से अवमुक्त प्रथम किश्त की टाइड फण्ड की कुल धनराशि रू० 2239.80 करोड़ को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है—

क्र०सं०	पंचायती राज संस्थाओं का नाम	लेखाशीर्षक	(धनराशि रू० में) आवंटित धनराशि
1	2	3	4
1	जिला पंचायत	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान -सामान्य(गैर वेतन)	3,35,97,00,000 /-
2	क्षेत्र पंचायत	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन)	3,35,97,00,000 /-
3	ग्राम पंचायत	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	15,67,86,00,000 /-
योग			22,39,80,00,000 /-

2-उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक के अनुदान सं०-14 में पंचायती राज संस्थाओं (कॉलम सं०-2) के सम्मुख कॉलम सं०-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन पंजिका के पृष्ठ सं०-141 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

*Anuj Kumar Jle*

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,


पंचायतीराज उ०प्र०।

संख्या-1/शा०/28/1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 06.09.2022 के क्रम में।
2. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
7. उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक(पं०), जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ०प्र०।
12. एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(प्रदीप कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायतीराज उ०प्र०।

७

**Allotment Grid Report**


वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-13/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-28-2022-1-152-2022  
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-152-2022  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता  
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	3359700000 5599500000	3359700000 5599500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3359700000 5599500000	3359700000 5599500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब उनसठ करोड़ पंचानवे लाख

  
(प्रदीप कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**


वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-13/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-28-2022-1-152-2022  
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-152-2022  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
197 - ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता  
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	3359700000 5599500000	3359700000 5599500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3359700000 5599500000	3359700000 5599500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब उनसठ करोड़ पंचानवे लाख

  
(प्रदीप कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-13/09/2022


प्रेषण संख्या:- 1-sha-28-2022-1-152-2022  
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-152-2022  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
198 - ग्राम पंचायतों को सहायता  
05 - पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उOप्रO, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	15678600000 26131000000	15678600000 26131000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15678600000 26131000000	15678600000 26131000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह अरब सरसठ करोड़ छियासी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस अरब तेरह करोड़ दस लाख

  
(प्रदीप कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी